



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168515

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 18809 वर्ष 2025

अनुपमा चौधरी और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार त्रिपाठी, निखिलेश कुमार चौधरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : देवेश त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा उनके मध्य समझौता हो गया है, जिसे वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। पूर्व में इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश द्वारा विचारण न्यायालय को सत्यापन आख्या प्रेषित करने का भी निर्देश दिया गया था।

3. आख्या के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनकी पहचान उनके संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा की गई तथा समझौते का सत्यापन विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2025 को किया गया।

4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहता है, इसलिए इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त तथ्यों से विवाद नहीं किया है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, जो (2019) 5 एससीसी 688 में रिपोर्टेड है, के मामले में समझौते/सुलह के आधार पर कार्यवाही को निरस्त करने के संबंध में सिद्धांत निर्धारित किए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:—

“15. इस बिंदु पर विधि तथा उपर्युक्त उल्लिखित इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित एवं माना जाता है कि:

i) संहिता की धारा 320 के अंतर्गत शमनीय न होने वाले अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है जिनमें अत्यधिक एवं प्रमुख रूप से सिविल प्रकृति हो, विशेष रूप से वे मामले

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें जघन्य एवं गंभीर अपराध, मानसिक विकृति से संबंधित अपराध अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध सम्मिलित हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं;

iii) इसी प्रकार, विशेष अधिनियमों, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा उस रूप में कार्य करते हुए किए गए अपराधों को पीड़ित और अपराधी के बीच हुए समझौते के मात्र आधार पर निरस्त करने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए;

iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा आयुध अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और/या आयुध अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इस आधार पर कि पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिया है, संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त नहीं की जा सकती। तथापि, उच्च न्यायालय केवल इस कारण अपने निर्णय को आधारित नहीं करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का उल्लेख है अथवा आरोप इस प्रावधान के अंतर्गत विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करना खुला होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 को केवल औपचारिकता के लिए जोड़ा गया है अथवा अभियोजन ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए हैं, जो सिद्ध होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का आधार बनेंगे। इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय लगी हुई चोट की प्रकृति, यह कि ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है या नहीं, प्रयुक्त हथियार की प्रकृति आदि को देख सकता है। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कवायद जांच के बाद साक्ष्य एकत्र किए जाने और आरोप-पत्र दाखिल किए जाने/आरोप विरचित किए जाने के पश्चात और/या विचारण के दौरान ही की जा सकेगी। जब मामला अभी जांच के अधीन हो, तब ऐसी कवायद की अनुमति नहीं है। अतः नरेंद्र सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 29.6 और 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उपर्युक्त परिस्थितियों में उसी प्रकार पढ़ा जाना चाहिए;

v) संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उन शमनीय न होने वाले अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, जो निजी प्रकृति के हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है, पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते/सुलह के आधार पर, उच्च न्यायालय के लिए अभियुक्त की पूर्ववृत्तियों पर विचार करना आवश्यक है; अभियुक्त का आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, उसने शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने की स्थिति कैसे बनाई आदि पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।”

7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और पक्षकारों के मध्य हुए समझौते का सत्यापन विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है, इसलिए वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और मुकदमा संख्या 558 वर्ष 2024 (राज्य बनाम अनुपमा चौधरी और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 0170 वर्ष 2024 से उत्पन्न हुआ है, धारा 406, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना कर्नलगंज, जिला प्रयागराज, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

11 अगस्त, 2026

पी.के.एस.